

केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 सोहना रोड गुरुग्राम स्कूल आपदा प्रबंधन व्यवस्थाएँ (NDMA)

भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने स्कूलों में आपदाओं के समय सुरक्षा और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश स्थापित किए हैं। ये दिशानिर्देश विद्यालय की गतिविधियों का हिस्सा हैं और विद्यालय के छात्रों के लिए एक सुरक्षित शिक्षण वातावरण बनाने का लक्ष्य रखते हैं।

स्कूल सुरक्षा दिशानिर्देशों के प्रमुख घटक:

1. संस्थागत प्रतिबद्धता:

* आपदा प्रबंधन को नियमित गतिविधियों में शामिल किया गया है।

2. सुरक्षा के लिए योजना:

* विद्यालय की विस्तृत आपदा प्रबंधन योजना (DMP) बनाई गई है जिसमें खतरे के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन, तैयारी के उपाय और प्रतिक्रिया रणनीतियों शामिल हैं।

* स्कूल परिसर के भीतर और बाहर संभावित खतरों की पहचान, जैसे संरचनात्मक कमजोरियों, सड़क सुरक्षा मुद्दे आदि।

3. सुरक्षा कार्यों का कार्यान्वयन:

विद्यालय की शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय अधिकारियों की आपदा प्रबंधन समितियाँ बनाई गई हैं।

* नियमित अभ्यास और प्रशिक्षण सत्र का आयोजन।

4. क्षमता निर्माण:

शिक्षकों और छात्रों के लिए आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। • विद्यालय समुदाय को आपदा जोखिम और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता

5 आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों का प्रचार प्रसार करना।